न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 49 / 2016

सरफो पुत्री रूड़सिंह पत्नी रामरखा जाति बावरी निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार आम रामरखा पुत्र कालाराम जाति बावरी निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र रूड़सिंह जाति बावरी निवासी चक 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. श्रवणसिंह पुत्र रूड़सिंह जाति बावरी निवासी चक 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर।

दिनांक 03.03.2016

उपस्थितिः—

श्री जगमोहन आहूजा , अभिभाषक अपीलांट ।

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय **दिनांक :— 25.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया / अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88 का पेश कर कथन किया कि वादिया के पिता रूड़सिंह को हिन्द

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पाक विभाजन पर भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से बतौर नोन कलेमेंट जीवों के आधार पर चक 11 जी छोटी के मु.न. 32 के 12 बीघा व मु.न. 47 के 12.10 बीघा कुल 24.10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । जीवों में वादिया का नाम भी शामिल है। इसलिए उक्त भूमि में वादिया का 1/5 हिस्सा बनता है। वादिया के पिता का देहान्त हो चुका है। वादिया के पिता ने दूसरी शादी अपने जीवनकाल में की जिसके दो पुत्र प्रतिवादीगण पैदा हुए इस प्रकार वादिया के पिता के 1/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा वादिया को मिला तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण को मिला इस प्रकार वादिया उक्त भूमि में से 15.07 बीघा की हकदार बनी। प्रतिवादीगण ने वादिया के पिता की एक गलत व झूठी वसीयत 28.08.81 को तैयार करवा ली। वसीयत फर्जी व साजिशी है। प्रतिवादीगण वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाया है जो वादिया के अधिकारों पर बेअसर है। अतः निवेदन है कि वाद वादिया स्वीकार करते हुए वाद पत्र की अनुतोष की मद क, ख के अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि वादिया ने वसीयत को चुनौती दी है। वसीयत को सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वसीयत के आधार पर इन्तकाल सही दर्ज किया गया है। वादिया का किसी प्रकार से हक नहीं बनता। अतः वाद खारिज किया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर पांच वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर ने दिनांक 03.03.16 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट का सार बिन्दु यह है कि विवादित आराजी पाक विस्थापित रूड सिंह बावरी को आवंटित होने तक तमाम तथ्य रिकार्ड से प्रमाणित है।

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अपीलांट के कथनानुसार भूमि रूड सिंह को जीवों के आधार पर आवंटन हुई थी जैसाकि भारत सरकार की पाक विस्थापितों की पुनर्वास नीति के तहत तीन सदस्यों को 12.5 बीघा 3 से 5 तक के परिवार का 25 बीघा व 5 से अधिक सदस्यों को 37.5 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया जाना निर्देशित था। अतः रूड सिंह को आवंटित 24.5 बीघा भूमि परिवार के 5 सदस्यों का होने से अपीलांट रूड सिंह की पुत्री होकर विवादित आराजी में 1/5 हिस्से की हिस्सेदार है परन्तु आवंटन व सनद अकेले पिता रूड सिंह के नाम जारी होने से उनके द्वारा अपीलांट के सौतेले भाईयों श्रवणसिंह व गुरचरण सिंह के नाम वसीयत करने से अधी. न्यायालय द्वारा वसीयत आधारित डिक्री में विवादित आराजी से अपीलांट को वंचित किया है। अतः उसे हक दिलाया जावे।

रेस्पों. अभिभाषक द्वारा अपीलांट के कथनों को नकारते हुए जाहिर किया कि विवादित आराजी अकेले रूड सिंह के नाम ही आवंटित हुई थी तथा आवंटन का आधार बेसिक रजिस्टर है जिसमें रूडसिंह को Non claimat के रूप में 24.5 बीघा भूमि का आवंटन होकर मांग पत्र जारी होना रिकार्ड से प्रमाणित है इसी अनुरूप सनद जारी की गई थी। अपीलांट द्वारा इस सनद को भी चुनौती दी गई थी परन्तु अपील में रूड सिंह के अकेले के नाम सनद सही होना मानकर अपील खारिज हुई। अतः परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटन नहीं होना साबित एवं प्रमाणित है, रेस्पों. अभिभाषक द्वारा आगे अपने कथनों के समर्थन में भारत निर्वाचन द्वारा अपीलांट के नाम जारी पहचान पत्र 01.01.1995 में उसकी उम्र साठ वर्ष बताई है अर्थात अपीलांट का जन्म 1935 में होना दर्शाया है जिसके अनुसार बेसिक रजिस्टर 18बी में दिनांक 17.04.1957 को अपीलांट की उम्र लगभग 22 वर्ष होकर उसका विवाह रामरखा पुत्र काला सिंह होकर यह होना प्रतीत जाहिर किया कि रामरखा के परिवार का सदस्य होकर उससे पुनर्वास विभाग द्वारा भूमि

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का आवंटन किया गया हो। दौराने बहस रेस्पों. अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम 11 जी छोटी पटवार हल्का 13जी छोटी की संवत् 2067–2070 की जमाबन्दी रामरखा पुत्र कालासिंह (अपीलांट के पति के नाम की कृषि भूमि) की प्रति पेश की जिसमें अपीलांट के पति के नाम से निम्नानुसार कृषि भूमि होना जाहिर किया है।

मुरब्बा नं.	कि.नं.	कुल भूमि
29	13/2 से 25	3.1620 है0
30	1 से 3, 8 से 22	3.0360 है0
65	1/2 से 9, 10/1, 11/2, 12, 13	3.1250 है0 खाला 0.1260 है0
	कुल	9.4490 है0 खाला 0.1260 है0

अर्थात यह सम्भव है कि अपीलांट के पति को अपीलांट सहित कुल 5 से ज्यादा सदस्यों को यह 37 बीघा भूमि आवंटित हुई हो जो तथ्यों को छुपाया होना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्य के अनुसार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि रूड सिंह को अकेले को पाक विस्थापित Non claimat के रूप में उसे भूमि आवंटित की गई थी उसी अनुरूप सनद जारी हुई वह भी नियमानुसार है। अतः विवादित आराजी के Devolve बाबत राज. काश्त.अधि. की धारा 40 के प्रावधान Relevant है, जिसमें जिन कृषि भूमियों की वसीयत नहीं की हो बाबत खातेदार की मृत्यु पर उनकी कृषि भूमियां personal law के विरासत के प्रावधानों अनुसार Devolve होना निर्देशित है जहां विरासत से पूर्व वसीयत के प्रावधान है तथा वसीयत के Parameters में स्वअर्जित भूमि होना Mandatory है। अतः प्रकरण हाजा की विवादित

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कृषि भूमि रूड सिंह को आवंटित होने से स्वअर्जित होना प्रमाणित होकर अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयात विनिश्चित की वसीयत के आधार पर रेस्पों. का दावा डिक्री किया है तथा वसीयत के आधार पर दिनांक 02.03.1994 को रेस्पों. के नाम से नामान्तरणकरण स्वीकृत हुआ है। वसीयत आधारीत नामान्तरणकरण की भी अपील हुई जो खारिज होना जाहिर किया है के अतिरिक्त रेस्पों. को मियाद अधिनियम 1963 के part iv के प्रावधानुसार विवादित आराजी से कानूनन बेदखल भी नहीं किया जा सकता तथा राज. काश्त.अधि. 1955 की धारा 63 (iv) के प्रावधानुसार भी अपीलांट को कोई Locus-standai नहीं रहने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

25/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

सरफो पुत्री रूड़सिंह पत्नी रामरखा जाति बावरी निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार आम रामरखा पुत्र कालाराम जाति बावरी निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर । ——अपीलार्थी

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र रूड़सिंह जाति बावरी निवासी चक 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. श्रवणसिंह पुत्र रूडसिंह जाति बावरी निवासी चक 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपील संख्या 49/2016 व नाराजगी डिकी अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम श्रीगंगानगर मुर्क्ख 03 माह 03 सन् 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री जगमोहन आहुजा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक रेस्पों. समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 25.09.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर